

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 से 19

राज्य शासन द्वारा नारायणपुर एवं बीजापुर को नवीन जिलों के रूप में गठन के फलस्वरूप नवगठित जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन संचालन एवं मॉनिटरिंग के कार्य संपादन हेतु अतिरिक्त पद संरचना किया जाना है। इसके वेतन भत्तों हेतु रूपये 23.20 लाख व्यय संभावित है।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	नारायणपुर	बीजापुर
1	उपसंचालक	100000-15200	01	01
2	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	4000-6000	02	04
3	मुख्य लिपिक	4500-7000	01	01
4	सहायक अधीक्षक सह लेखापाल	4000-6000	01	01
5	सहायक वर्ग -2	4000-6000	02	02
6	सहायक वर्ग-3	3050-4590	02	02
7	स्टेनोग्राफिस्ट	3050-4590	01	01
8	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	01	01
9	वाहन चालक	3050-4590	01	01
10	भृत्य	2550-3200	03	03
11	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	01
12	स्वीपर अशकालीन	कलेक्टर दर पर	01	01
	योग		17	19

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 23,20,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत जिलों में स्थानीय स्तर समिति की स्थापना हेतु रूपये 3.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21 से 28

राज्य शासन द्वारा शासकीय दृष्टि बाधितार्थ विद्यालय रायपुर तथा शासकीय श्रवण बाधितार्थ विद्यालय बिलासपुर को उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। वेतन भत्तों पर इस वर्ष रूपये 22.38 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 22,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30 से 32

क्र.	पदनाम	वेतनमान	नारायणपुर	बीजापुर
1	परिवीक्षा अधिकारी	4500-7000	01	01
2	सहायक वर्ग-3	3050-4590	01	01
3	भृत्य	2550-3200	01	01
	योग		03	03

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,80,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33 से 35

क्र.	पदनाम	वेतनमान	नारायणपुर	बीजापुर
------	-------	---------	-----------	---------

1	प्रमुख कलाकार	3500-5200	01	01
2	कलाकार	3050-4590	07	07
	योग		08	08

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 36

राज्य शासन द्वारा आश्रय दत्त कर्मशाला बिलासपुर के भवन में मरम्मत कार्य एवं अतिरिक्त कमरा निर्माण हेतु रूपये 11.62 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 11,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।